

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

“प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021”

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
33 / 2021

दायर दिनांक
14.06.2021

निर्णय दिनांक
18.11.2021

अनवान

1. गोतम कुमार पिता लाभचन्द जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. उदयराम पिता परथु जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारायण पिता खुराज जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रतन पिता हजारी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. माधु पिता किशना जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. देवीलाल पिता भैरू जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. रतन पिता भैरू जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. पप्पु पिता किशनलाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. नारायण पिता छोगा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. कालू पिता किशन जाति लोदा उम्र वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. किशन पिता गेहरू जाति लोदा उम्र वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री मोहनलाल गाडरी

प्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम—::

—:: निर्णय ::—



वकील प्रार्थी व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत किया। जिसमें अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया



गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। वकील प्रार्थी व प्रार्थी आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र हथियाना में हाजिर हुए। हाजिर वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस एक तरफा बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें मात्र खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, प्रार्थी ने बताया कि मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 888, 889, 916, 932, 933, 941, 942, 947, 948, कुल किता 9 रकबा 3.64 है0 कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा वह अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074-2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 888, 889, 916, 932, 933, 941, 942, 947, 948, कुल किता 9 रकबा 3.64 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन